बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 368984 पटना, दिनांक- 14/5/18

ग्रा0वि0-5/आधार (न्या0)-107-15/2016

प्रेषक,

कनक बाला,
उप सचिव

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय : **आधार पंजीकरण कार्य के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराये गए IEC सामग्री (फ्लेक्स) की प्राप्ति रसीद के सत्यापन के संबंध में ।**

प्रसंग : विभागीय पत्र संख्या- 216821 दिनांक- 19.01.2015

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र (प्रति संलग्न) का संदर्भ किया जाय, जिसके आलोक में सभी जिलों को आधार पंजीकरण कार्य के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मेसर्स अरूणालय, पटना के द्वारा निर्धारित संख्या में IEC सामग्री (सिर्फ फ्लेक्स) उपलब्ध कराया गया था । उक्त् पत्र के साथ प्राप्ति रसीद का प्रपत्र संलग्न किया गया था । फ्लेक्सों की आपूर्ति के उपरान्त मेसर्स अरूणालय, पटना को प्रत्येक जिले से विहित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद प्राप्त कर भुगतान हेतु विभाग को समर्पित करना था । भुगतान हेतु प्राप्ति रसीदों की समीक्षा में पाया गया कि इसमें कुछ त्रुटियाँ है । प्रासंगिक पत्र के द्वारा प्रेषित प्राप्ति रसीद पर कुछ जिलों में प्राप्तिकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, परन्तु निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, का हस्ताक्षर नहीं है । साथ ही, कुछ जिलों में स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की संख्या (Folio N0) का उल्लेख नहीं किया गया है । मुंगेर जिला का प्राप्ति रसीद आपूर्तिकर्ता द्वारा संलग्न नहीं किया गया है। विदित हो कि मेसर्स अरूणालय द्वारा भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में सुनवाई जारी है। अतएव, इस संबंध में विभाग स्तर पर निर्णय लेने हेतु एजेंसी के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराये गये प्राप्ति रसीदों का संबंधित ग्रामीण जिला विकास अभिकरणों से सत्यापन कराना अनिवार्य हो गया है ।

अत: निदेशानुसार अनुरोध है कि मेसर्स अरूणालय, पटना के द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गए फ्लेक्सों की प्राप्ति रसीदों का सत्यापन कराकर 15 दिनों के अन्दर विभाग को सम्पुष्टि की सूचना दी जाय । सुलभ प्रसंगवश प्राप्ति रसीदों की छायाप्रति संलग्न की जाती है ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

14/5/18

(कनक बाला)
उप सचिव

ज्ञापांक- 368984 पटना, दिनांक- 14/5/18

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/5/18

उप सचिव ।

634 हिन्दी आवेदन (आधार) 5/14/2018

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 2168021 पटना, दिनांक- 19/11/2015

संसं0-ग्रा0वि0-5/ आधार (विविध)- 14-02/2014

प्रेषक,

एस0एम0राजू,
सचिव-सह-राज्य पंजीयक,
बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- **आधार पंजीकरण कार्य के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु IEC सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- मुख्य सचिव, के द्वारा दिए गए पत्र संख्या- 214219 दिनांक- 29.12.2014

महाशय,

आप अवगत है कि आधार कार्ड के निर्माण संबंधी कार्य अब राज्य पंजीयक द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है । इस कार्य के सुदूर क्षेत्रों तक व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मेसर्स अरूणालय, कंकड़बाग, पटना द्वारा IEC सामग्री तैयार कर जिला को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

1. जिलों में आधार कार्ड निमार्ण संबंधी कार्य के नोडल पदाधिकारी उप विकास आयुक्त होंगे तथा एक नामित APO उनकी सहायता के लिए होंगे । APO का कार्य जिला में कार्यरत एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह के अंत में प्रगति प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराना होगा । आपसे अनुरोध है कि जिला समन्वय समिति बैठक में इस कार्य की भी समीक्षा की जाय ।

2. उप विकास आयुक्त इस सामग्री को प्राप्त कर निर्धारित संख्या में अनुमंडलों एवं प्रखंडों को उपलब्ध करा देंगे । जिला में इन फ्लैक्सों को समाहरणालय, DRDA कार्यालय, SP कार्यालय, पुलिस लाइन, सदर अस्पताल, निबंधन कार्यालय, स्कूल/ कॉलेज एवं अन्य प्रमुख सरकारी भवनों पर प्रदर्शित कराया जाय । इसी प्रकार अनुमंडल में भी सरकारी भवनों पर इन्हें प्रदर्शित कराया जाय । प्रखंड विकास पदाधिकारी इन्हें प्रखंड मुख्यालय, मनरेगा भवन, थाना, प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, सभी स्कूल, कॉलेज अथवा अन्य सरकारी भवनों पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करायेंगे । उप विकास आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर आपूर्तिकर्त्ता को उपलब्ध कराऐंगे । आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति के उपरांत ही प्राप्त रसीद के साथ विपत्र समर्पित करने के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा । (प्राप्ति रसीद का प्रपत्र संलग्न है) ।

3. इन फ्लेक्सों का साइज 6x4 फीट निर्धारित है एवं इनकी संख्या निम्न प्रकार से होगी :-

क्र0सं0	मुख्यालय	संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	जिला	38x15= 570	570
2	अनुमंडल	101x10= 1010	1010
3	प्रखंड	534x10= 5340	5340
4	पंचायत	8405x10= 84050	84050
		कुल	**90970**

यदि इन फ्लेक्सों का प्रदर्शन सही ढंग से नहीं होता है तो संबंधित पदाधिकारी/ कर्मचारी पर इसकी जवाबदेही निर्धारित की जायेगी तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

4. इन फ्लेक्सों को इस तरह टंगवाया जाय कि यह ज्यादा समय तक टिका रहे तथा ऐसे स्थानों पर लगवाया जाय, जहाँ योजना के विषय में आम आदमी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें ।

5. समय सीमा के अंदर आधार पंजीकरण का कार्य पूर्ण करना विभाग का लक्ष्य है । अत: यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर हाल में ससमय इसे प्रदर्शित करवा कर योजना का भरपूर प्रचार- प्रसार किया जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

(एस0एम0राजू) 19/1/15

सचिव-

सह-राज्य पंजीयक

बिहार ।

ज्ञापांक 216821 पटना, दिनांक 19/1/2015

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव-

सह-राज्य पंजीयक 19/1/15

बिहार ।

ज्ञापांक 216821 पटना, दिनांक 19/1/2015

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव-

सह-राज्य पंजीयक 19/1/15

बिहार ।

RECEIPT

To,

The Secretary-cum
-state Registrar (Aadhar),
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Main Secretariat,
Patna 800 015, Bihar .

Subject : - **Letter of Receiving for IEC material from Arunalaya, kankarbagh, Patna with reference to your letter no………………. Dated………………………. .**

Dear Sir,

We have received……………………number of Flexes of Aadhar in good condition from M/s Arunalaya, Kankarbagh, Patna on ………………. date at ………………………. These Flexes have been entered in the stock register vide folio no. ……………. We request payments may be made for …………nos. of units.

Director
(Finance Manager-cum-Director)

Name:- --------------------------------

(Signature & Stamp of the Department)

Accountant

Name:- ------------------------------

(Signature & Stamp of the Department)

Statement of Fact in

CWJC No. 16685 of 2016

(Arun Kumar Vs State of Bihar)

1. That it is submitted that the issue raised in Para No. 1 & 2 are to be decided by the Hon'ble Court hence no comment.
2. The statement made in Para No. 3 are formal hence no comment.
3. That as per statement made in Para No. 4 petitioner got order of supply of Aadhaar IEC materials (Flex & Banners) in DRDA office in all Districts of Bihar vide letter No. 216821 dated 19.01.2015 of Rural Development Department, Bihar. (Annexure 1 of the writ petition). That in this connection it is stated that on bare perusal of annexure 1 of the writ petition it appears that the letter in question has been issued by the Rural Development Department, Bihar is addressed to all DMs of Bihar. Hence it is not a work order as stated by petitioner.
4. That Statement made in Para No. 5 of the writ petition are totally false as that the allege work order, Annexure 1 of the writ petition does not contain any specification and terms and condition nor any period of supply of the material.
5. That the Statements made in Para No. 6, 7, 8 & 9 are matter of record.

6. That as far as statement made in Para No. 10 of writ petition is concerned it is submitted that no proof of security deposit has been submitted by the petitioner.

7. That from above mentioned facts and circumstances it appears that from the facts brought on record by the petitioner the quantity and quality of the supplied material could not be determined. For settlement of the claim made by the petitioner as per Para 1 of the writ petition, it is essential to determine the quality and quantity of the material supplied by the petitioner. It is therefore requested to grant 8 weeks' time to examine and settle the matter.